

अध्याय-1 सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े सारणी 1.1.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)						
क्र० सं०	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
	• कर राजस्व	41,355.00	52,613.43	58,098.36	66,582.08	74,172.42
	• करेतर राजस्व	11,176.21	10,145.30	12,969.98	16,449.80	19,934.80
	योग	52,531.21	62,758.73	71,068.34	83,031.88	94,107.22
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	43,218.90	50,350.95	57,497.86	62,776.70	66,622.91 ¹
	• सहायता अनुदान	15,433.65	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47
	योग	58,652.55	68,110.97	74,835.65	85,181.87	99,314.38
	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	1,11,183.76	1,30,869.70	1,45,903.99	1,68,213.75	1,93,421.60
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	47	48	49	49	49

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व (₹ 94,107.22 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,93,421.60 करोड़) का 49 प्रतिशत था। 2014-15 के दौरान शेष 51 प्रतिशत की प्राप्तियाँ भारत सरकार से थीं।

¹ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या-14 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में मुख्य लेखा शीर्षक अ-कर राजस्व के अन्तर्गत-0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032-धन पर कर 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044- सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क राज्यों के समुदायित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1.1.2 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण सारणी 1.1.2 में दिये गये हैं:

सारणी 1.1.2
उगाहे गये कर राजस्व का विवरण

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	(₹ करोड़ में)
								2013-14 के सापेक्ष 2014-15 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब0अ0	26,978.34	32,000.00	38,492.18	43,936.00	47,497.92	(+) 8.11
		वास्तविक	24,836.52	33,107.34	34,870.16	39,645.45	42,931.54	(+) 8.29
2.	राज्य आबकारी	ब0अ0	6,763.23	8,124.08	10,068.28	12,084.88	14,500.00	(+) 19.99
		वास्तविक	6,723.49	8,139.20	9,782.49	11,643.84	13,482.57	(+) 15.79
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	ब0अ0	5,000.00	6,612.00	9,308.00	10,555.00	12,722.67	(+) 20.54
		वास्तविक	5,974.66	7,694.40	8,742.17	9,520.92	11,803.34	(+) 23.97
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	ब0अ0	2089.90	2,329.95	3,093.90	3,713.00	3,950.00	(+) 6.38
		वास्तविक	2,058.58	2,380.67	2,993.96	3,442.01	3,797.58	(+) 10.33
5.	अन्य ²	ब0अ0	1,472.96	1,268.12	1,094.68	1,905.00	2,327.34	(+) 22.17
		वास्तविक	1,761.75	1,291.80	1,709.58	2,329.86	2,157.39	(-) 7.40
योग		ब0अ0	42,304.43	50,334.15	62,057.04	72,193.00	80,997.93	(+) 12.20
		वास्तविक	41,355.00	52,613.41	58,098.36	66,582.08	74,172.42	(+) 11.40

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेख

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में कमी बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी।

राज्य आबकारी विभाग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, मुख्यतः वर्ष के दौरान विदेशी मदिरा के उपभोग में कमी बताया गया और पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्ति में वृद्धि का कारण मुख्यतया एमजीक्यू, देशी मदिरा और बीयर की प्रतिफल फीस एवं दुकानों के व्यवस्थापन में वृद्धि के कारण थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, जनता द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रीयल इस्टेट में कम रुचि लेना बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति, वार्षिक दर सूची में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से अधिक थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी बजट अनुमान एवं प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (नवम्बर 2015)।

²अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, होटल प्राप्तियाँ कर, मनोरंजन कर एवं दौंव कर।

1.1.3 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण सारणी 1.1.3 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.3
उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	(₹ करोड़ में)	
							2013-14 के सापेक्ष 2014-15 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
1	विविध सामान्य सेवायें	ब०अ०	7,118.06	4,216.01	3,264.23	2,970.98	4,037.81	(+) 35.91
	वास्तविक		5,120.67	4,035.23	4,494.11	3,194.28	6,400.41	(+) 100.37
2	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब०अ०	2,987.49	3,000.00	5,410.00	5,852.75	6,887.18	(+) 17.67
	वास्तविक		2,614.11	2,008.55	4,211.69	6,414.09	5,798.52	(-) 9.60
3	ब्याज प्राप्ति	ब०अ०	1,229.49	861.62	924.36	858.36	1,434.90	(+) 67.17
	वास्तविक		689.32	789.22	1,186.41	1,619.35	2,302.82	(+) 42.21
4	अलौह, खनन तथा धातु कर्म उद्योग	ब०अ०	838.97	900.00	954.00	1,000.00	1,100.00	(+) 10.00
	वास्तविक		653.39	593.28	722.13	912.52	1,029.42	(+) 12.81
5	अन्य करेतर प्राप्ति	ब०अ०	2,811.46	3,133.93	3,621.23	2,500.39	6,772.06	(+)170.84
	वास्तविक		2,098.72	2,719.02	2,355.64	4,309.56	4,403.63	(+) 2.18
योग	ब०अ०	14,985.47	12,111.56	14,173.82	13,182.48	20,231.95	(+) 53.48	
	वास्तविक	11,176.21	10,145.30	12,969.98	16,449.80	19,934.80	(+) 21.19	

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र न मिलने के कारण कई खनन पट्टों को या तो बंद या नवीनीकरण न किया जाना बताया गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्ति में वृद्धि प्रवर्तन कार्यों पर विशेष ध्यान दिये जाने तथा अवैध खनन की रोकथाम के कारण थी (नवम्बर 2015)।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी विगत वर्ष की तुलना में प्राप्ति में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (नवम्बर 2015)।

1.2 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2015 तक के कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का बकाया ₹ 26,837.24 करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,572.73 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था, जैसा कि सारणी 1.2 में वर्णित है:

³अन्य में निम्नलिखित प्राप्ति (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं:

अन्य राजकोषीय सेवाये, लाभांश तथा लाभ, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, लेखन तथा मुद्रण सामग्री, लोक निर्माण कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति तथा सफाई, आवास, शहरी विकास, सूचना तथा प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाएं, फसल कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, वानिकी तथा वन्य प्राणि, कृषि एवं अनुसन्धान एवं शिक्षा, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्य सिंचाई, मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, बिजली, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्राम तथा लघु उद्योग, उद्योग, अन्य उद्योग, नागर विमानन, सड़क तथा सेतु, सड़क परिवहन, पर्यटन, सिविल पूर्ति तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

सारणी 1.2
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)				
क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2015 को पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,347.13	11,462.56	₹ 26,347.13 करोड़ में से ₹ 2,594.53 करोड़ की माँग भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया; ₹ 1,276.72 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 4,441.96 करोड़ की वसूलियों न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों एवं शासन द्वारा स्थगित की गयी थीं, ₹ 560.79 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध थी, ₹ 1,613.14 करोड़ की वसूली हेतु माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 45.02 करोड़ ट्रान्सपोर्टरो से बकाया थे। ₹ 15,814.97 करोड़ के शेष धनराशि हेतु, विभाग में विशेष कार्यवाही की जा रही है।
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	202.77	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। विभाग उन चरणों को जिसके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।
3.	वाहनों पर कर	136.82	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। विभाग उन चरणों को जिसके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।
4.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	77.52	51.15	विभाग के पास निदेशालय स्तर पर बकाये के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
5.	राज्य आबकारी	53.12	52.62	₹ 53.12 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया धनराशि हेतु माँग भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित की गयी थी। ₹ 53.12 करोड़ में से ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 16.87 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 5.85 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी।
6.	मनोरंजन कर	19.88	6.40	₹ 19.88 करोड़ में से ₹ 9.88 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थागित की गयी थी तथा ₹ 8.65 करोड़ की माँग भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी। शेष ₹ 1.35 करोड़ अपीलीय प्राधिकारियों के पास लम्बित था।
योग		26,837.24	11,572.73	

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

कुल बकाया ₹ 26,837.24 करोड़ में से ₹ 3,910.30 करोड़ भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था, ₹ 4,468.71 करोड़ माननीय न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोके गये थे, ₹ 560.79 करोड़ सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के विरुद्ध लम्बित था तथा ₹ 1,618.99 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी जबकि शेष ₹ 16,278.45 करोड़ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया।

1.3 कर निर्धारण के बकाये

वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर (बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा संकर्म संविदा पर कर) के सम्बन्ध में प्रदान किये गये विवरण के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामले, कर निर्धारण हेतु नये मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार सारणी 1.3 में है।

सारणी 1.3

कर निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	2014-15 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामले	कर निर्धारण हेतु कुल मामले	2014-15 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले	निस्तारण की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,413	3,14,328	3,21,741	2,55,480	66,261	79.41

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

विभाग द्वारा बताया गया कि सभी बकाया मामले 30 अप्रैल 2015 तक निस्तारित कर लिये गये हैं क्योंकि कर निर्धारण के सभी बकाया मामलों के निस्तारण के लिये एक माह की समयावधि माँगी गयी थी तथा शासन द्वारा उसे प्रदान किया गया था।

1.4 विभागों द्वारा पता लगाया गया कर का अपवंचन

वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर के अपवंचन के मामले एवं विभाग द्वारा निस्तारित किये गये एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँगों के मामलों का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, सारणी 1.4 में दिया गया है।

सारणी 1.4

कर का अपवंचन

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को लम्बित मामले	2014-15 के दौरान पता लगाये गये मामले	योग	मामलों की संख्या जिनमें कर निर्धारण/जॉच पड़ताल पूरी कर ली गयी है तथा अर्थदण्ड आदि सहित अतिरिक्त माँग सृजित हुई		31 मार्च 2015 को निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	माँग की धनराशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,955	5,604	15,559	6,556	2,669.76	9,003
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	15,792	33,508	49,300	30,469	अनुपलब्ध	18,831
3.	वाहनो पर कर	5,090	144	5,234	8	2.00	5,226
4.	मनोरंजन कर	0	47	47	30	0.01	17
योग		30,837	39,303	70,140	37,063	2,671.77	33,077

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी के देखने से पता चलता है कि वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामलों की संख्या के सापेक्ष वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी।

1.5 लम्बित वापसी वाद

वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में लम्बित वापसी वादो की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत वापसी और वर्ष 2014-15 के अन्त में लम्बित वादो, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा बताया गया, सारणी 1.5 में दिया गया है।

सारणी 1.5

लम्बित वापसी वादो का विवरण

क्र०सं०	विवरण	(₹ करोड़ में)			
		बिक्री कर/मू०सं०क०		राज्य आबकारी	
		वादो की संख्या	धनराशि	वादो की संख्या	धनराशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित दावे	338	100.55	02	0.18
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	8,380	595.46	37	24.60
3	वर्ष के दौरान की गयी वापसी	8,547	668.13	37	22.93
4	वर्ष के अन्त में शेष लम्बित वाद	171	27.88	02	1.83

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

उत्तर प्रदेश मू०सं०क० अधिनियम के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तक अतिरिक्त धनराशि की वापसी व्यापारी को नहीं की जाती है, तो वापसी किये जाने तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। यद्यपि बिक्री कर/मू०सं०क० के वापसी वादों के निपटारे जाने की प्रगति ठीक थी परन्तु वर्ष के अन्त में वापसी का लम्बित होना ब्याज के भुगतान के लिये दोषपूर्ण है। राज्य आबकारी विभाग में वापसी के लम्बित दावों में विगत वर्ष से वृद्धि हुयी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा, संव्यवहारों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है, जैसा कि नियमों एवं कार्यविधियों में निर्धारित था। ऐसा निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो पाता है, को शामिल करने वाले निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि०प्र०) से अनुगमित होता है जिन्हें निरीक्षण किये गये कार्यालयों के प्रमुखों के साथ-साथ उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतियों के साथ, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्गत किया जाता है। कार्यालयों के प्रमुखों/शासन को नि०प्र० में शामिल आपत्तियों का तात्कालिक अनुपालन तथा कमियों एवं त्रुटियों का सुधार कर नि०प्र० जारी होने के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या, प्रारम्भिक उत्तर के साथ महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि जून 2015 के अन्त तक 10,899 नि०प्र० से सम्बन्धित ₹ 6,813.44 करोड़ की सन्निहित धनराशि के 38,049 लेखापरीक्षा प्रेक्षण लम्बित थे जैसा कि विगत दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़ों के साथ निम्न सारणी 1.6 में वर्णित है।

सारणी 1.6
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

विवरण	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निस्तारण के लिए लम्बित नि०प्र० की संख्या	10,808	11,104	10,899
लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	30,694	34,446	38,049
सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	6,305.36	6,816.69	6,813.44

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.6.1 30 जून 2015 को लम्बित विभागवार नि०प्र० एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के विवरण सारणी 1.6.1 में वर्णित हैं:

सारणी 1.6.1
विभागवार नि०प्र० का विवरण

क्र० सं०	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि०प्र० की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
1	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,792	21,986	3,567.00
		मनोरंजन कर	173	318	13.65
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,099	2,123	965.15
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,043	4,784	809.92
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2,649	8,098	727.80
5	भू-तत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	143	740	729.92
योग			10,899	38,049	6,813.44

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2014-15 के दौरान निर्गत 1,135 नि०प्र० का यहाँ तक कि प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से नि०प्र० के निर्गत करने के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। नि०प्र० का उत्तर प्राप्ति न होने के कारण अधिक संख्या में लम्बित रहना

इस तथ्य का द्योतक है, कि कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागों ने नि0प्र0 में महालेखाकार द्वारा बतायी गयी कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की त्वरित तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नि0प्र0 तथा नि0प्र0 के प्रस्तारों के निस्तारण की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा इसमें तेजी लाने के लिये सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों एवं निस्तारित प्रस्तारों के विवरण सारणी 1.6.2 में वर्णित हैं।

सारणी 1.6.2

विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का विवरण

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तारों की संख्या	(₹ करोड़ में)
				धनराशि
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	39	36	0.47
2	राज्य आबकारी	18	395	160.05
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	05	49	0.69
4	मनोरंजन कर	18	58	0.69
योग		80	538	161.90

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठकों के आयोजित होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग तथा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में बड़ी मात्रा में लम्बित नि0प्र0 एवं प्रस्तारों की तुलना में प्रस्तारों के निस्तारण की प्रगति नगण्य थी। परिवहन विभाग तथा भू-तत्त्व एवं खनिकर्म विभाग ने अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन नहीं किया।

1.6.3 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख प्रस्तारों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु भेजा जाता है और छः सप्ताह के अन्दर उनसे उनकी प्रतिक्रिया भेजने हेतु अनुरोध किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रस्तारों के अन्त में विभागों/शासन से उत्तरों के प्राप्त न होने का तथ्य निश्चित रूप से दर्शाया जाता है।

जून 2015 और जुलाई 2015 के मध्य एक निष्पादन लेखा परीक्षा सहित इकत्तीस आलेख प्रस्तारों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव को उनके नाम से भेजा गया। शासन/विभाग के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन-सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में अत्यधिक विलम्ब किया गया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013, और 2014 को समाप्त होने वाले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल दो सौ तीन प्रस्तारों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 08 अगस्त 2011 और 17 अगस्त 2015 के मध्य राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा

गया। इन प्रस्तरोँ पर सम्बन्धित विभागो द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ देर से प्राप्त हुईं। 2009-10 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 203 प्रस्तरोँ के विरुद्ध 114 प्रस्तरोँ से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एक माह से 11 माहों तक के विलम्ब से प्राप्त हुयीं। 31 मार्च 2011, 2012, 2013 और 2014 को समाप्त होने वाले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 89 प्रस्तरोँ के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अब तक प्राप्त नहीं हुयीं (नवम्बर 2015)।

लो0ले0स0 ने 2009-10 से 2012-13 के वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 90 चयनित प्रस्तरोँ पर चर्चा की। यद्यपि लो0ले0स0 के 90 प्रस्तरोँ से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुयी जैसा कि सारणी 1.6.4 में दर्शित है।

सारणी 1.6.4

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर का0आ0 की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष	विभाग	योग
2009-10	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, वन, सिंचाई, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	20
2010-11	राज्य आबकारी, परिवहन, और स्टाम्प एवं निबंधन	15
2011-12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूतत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं वन	52
2012-13	राज्य आबकारी	3
योग		90

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के निपटारे हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये मुद्दों के विभागों/शासन द्वारा समाधान करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, मनोरंजन कर विभाग से सम्बन्धित पिछले 10 वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये प्रस्तरोँ पर की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरोँ 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष 0045 के अधीन मनोरंजन कर विभाग के निष्पादन और विगत 10 वर्षो के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामलों एवं वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षो के दौरान मनोरंजन कर विभाग को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरोँ और 31 मार्च 2015 तक की उसकी स्थिति के विवरण निम्न सारणी 1.7.1 में सारणीबद्ध हैं।

सारणी 1.7.1

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र० सं०	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान अभिवृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम शेष		
		नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि	नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि	नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि	नि०प्र०	प्रस्तर	धनराशि
1.	2005-06	178	242	6.52	14	22	1.16	52	83	0.80	140	181	6.88
2.	2006-07	140	181	6.88	0	0	0	14	23	0.55	126	158	6.34
3.	2007-08	126	158	6.34	9	15	0.19	9	12	0.09	126	161	6.44
4.	2008-09	126	161	6.44	16	30	0.57	44	55	1.15	98	136	5.86
5.	2009-10	98	136	5.86	24	46	1.67	5	5	0.05	117	177	7.48
6.	2010-11	117	177	7.48	27	49	0.89	20	23	0.82	124	203	7.55
7.	2011-12	124	203	7.55	29	62	17.91	4	9	0.06	149	256	25.40
8.	2012-13	149	256	25.40	17	67	2.12	3	7	0.19	163	316	27.33
9.	2013-14	163	316	27.33	21	76	2.05	1	8	0.03	183	384	29.35
10.	2014-15	183	384	29.35	15	41	0.37	18	64	0.72	180	361	29.01

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

शासन पुराने प्रस्तरो के निस्तारण हेतु विभाग और महालेखाकार कार्यालय के मध्य लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों का आयोजन करता है। जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2005-06 के प्रारम्भ में 242 प्रस्तरो के साथ लम्बित 178 नि0प्र0 2014-15 के अन्त तक बढ़कर 361 प्रस्तरो के साथ लम्बित 180 नि0प्र0 हो गये। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कदम नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप लम्बित नि0प्र0 और प्रस्तरो में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरो जिनको मनोरंजन कर विभाग के स्वीकार किया गया एवं वसूल की गयी धनराशि की स्थिति सारणी 1.7.2 में वर्णित है।

सारणी 1.7.2
स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल किये गये प्रस्तरो की संख्या	प्रस्तरो की धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरो की संख्या	स्वीकार किये गये प्रस्तरो की धनराशि	(₹लाख में)
					वसूल की गयी धनराशि
2004-05	0	0	0	0	0
2005-06	2	557.93	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0
2007-08	1	6.80	0	0	0
2008-09	1	10.08	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0
2010-11	1	9.54	1	0.25	0.25
2011-12	1	21.03	1	21.03	6.05
2012-13	2	11.74	2	11.00	4.71
2013-14	3	7.22	2	7.22	0.49

स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों में स्वीकार किये गये मामलों में वसूली की प्रगति नगण्य थी। स्वीकार किये गये मामलों की वसूली का अनुसरण सम्बन्धित पक्षों से वसूली योग्य बकाये की तरह किया जाना चाहिए था। शासन/विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के अनुश्रवण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी थी। उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग को स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित देयों की त्वरित वसूली हेतु अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन की शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

1.8 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) का आलेख सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ उनके सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन गोष्ठी में चर्चा की गयी थी तथा शासन/विभागों के विचार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय शामिल कर लिया गया।

वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की विगत पाँच वर्षों के प्रतिवेदन में प्रदर्शित निष्पादन लेखापरीक्षाओं की स्वीकार की गयी संस्तुतियों और उनकी स्थिति का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रुझान, अन्य मापदण्डों एवं उनकी राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के

आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूप रेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान 2,639 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थीं, जिसमें 1,261 इकाईयों की योजना की गयी और 1,135 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों का 43 प्रतिशत था। लोक सभा चुनाव के कारण 126 योजना की गयी इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

ऊपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी।

1.10 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखा परीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,135 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 851.14 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 5,145 मामले पाये। वर्ष के दौरान विभाग ने 456 मामलों में ₹ 20.92 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें वर्ष 2014-15 के दौरान 349 प्रकरणों में ₹ 19.21 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी।

1.11 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'वैट के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुये 31 प्रस्तर (स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात किये गये एवं पूर्व वर्षों के दौरान के मामले, जो पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये गये में से चयनित) शामिल हैं जिसमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 560.72 करोड़ का है।

शासन/विभागों ने ₹ 532.41 करोड़ की धनराशि के प्रेक्षकों को स्वीकार किया। जिसमें से ₹ 65.12 लाख वसूल किया गया (नवम्बर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों-II से VI में की गयी है।